नम्बर व तारीख अहकाम जो हुआ तामील में जाते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 69/2024 निर्णय दिनांक :–13.05.2024

सुनवानी प्रार्थना पत्र :

1. उमेश पुत्र भागचन्द जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. तारा पुत्री भागचन्द जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. पांची पत्नि स्व0 भागचन्द जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. लाभचन्द पुत्र रामदयाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी नासिरदा तहसील देवली जिला टॉंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रतनपुरा कॉलोनी जिला टोंक राज0
2. सचिव, ग्राम पंचायत रतनपुरा कॉलोनी जिला टोंक राज0
3. धनराज पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी रतनपुरा कॉलोनी तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रतिपक्षीगण–

–उपस्थिति –

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 763 खसरा नम्बर 4820 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 मे स्थित है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा मोके पर काबिज है। प्रतिपक्षीगण का प्रार्थीगण की उक्त आराजी भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध एवं सरोकार नही है और ना ही कब्जा है। ग्राम पंचायत रतनपुरा कॉलोनी के सरपंच का प्रतिपक्षी संख्या 3 पति है। प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर आते है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजामहत करते है तथा भूमि को काश्त करने नही

है तथा जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा कर सामुदायिक भवन का निर्माण करना चाहते है जिसका कि प्रतिपक्षीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। आज से 2 दिन पूर्व भी प्रतिपक्षीगण एक साथ एक राय होकर प्रार्थीगण की भूमि पर आये और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे मजामहत की तथा जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने की धमकी दी। प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर, चाकर एवं अधिनस्थ कर्मचारियो के प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पर जबरन कब्जा नही करे, प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा वादीगण की भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नही करें। यदि प्रतिपक्षीगण को उक्त आशय से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकार से वंचित हो जावेगे तथा अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना किसी भी तरह से संभव नही होगा। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेष कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबंद किया जावे कि वह स्वंय जरिये एजेंटनोकर, चाकर एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 763 खसरा नम्बर 4820 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रार्थीगण की भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

आदेश

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2073–76 के अनुसार प्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार दर्ज रिकॉर्ड होने से प्रार्थीगण के हितो व अधिकार का संरक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के

विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है अर्थात अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को इस प्रार्थना पत्र बाबत कोई आपति नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूलवाद पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 4820 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम नासिरदा पटवार हल्का नासिरदा तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग एवं फसल बोने, काटने, लाने ले जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा प्रार्थीगण की भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करें तथा प्रार्थीगण को हिदायत दी जाती है कि उक्त विवादित आराजी का अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। मुल दावे के साथ हमफिता हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 13.05.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली